राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 35/2011/जयपुर
मैसर्स राहुल स्टील्स
जयपुर — अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
वृत–सी,घट प्रथम,जयपुर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थित:
श्री आर.डी शर्मा
अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक: 1.12.2014

निर्णय

यह अपील प्रार्थी व्यवसायी की ओर से उपायुक्त(अपील्स)तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर(जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 187/अपील्स–IV/09–10/सी में पारित आदेश दिनांक 13.11.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2006–07 के लिए द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही के बिक्री प्रपत्र क्रमशः 68, 06 एवं 288 दिन के विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–सी, घट–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 23/24 के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.03.2009 पारित कर कर अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति रू. 870/–आरोपित की। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा रू. 14,23,538/–की ए.सी.शीट्स की बिक्री कर मुक्त दर्शाये जाने के कारण कर से छूट चाही गयी जबकि ए.सी.शीट्स की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर देयता है इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने दर्शाई गई कर मुक्त बिक्री को अस्वीकार करके 12.5 प्रतिशत की दर से कर रू. 1,77,942/– एवं कर राशि जमा नहीं कराने के कारण 30 माह का ब्याज रू. 53,383/–आरोपित करते हुए कुल रू. 2,32,195/– की मांग सृजित की। उक्त सृजित मांग के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर रू.65,877/– एवं ब्याज रू.19,763/– को अपास्त करते हुए शेष कर रू.1,12,065/–,ब्याज रू.33,620/–,शास्ति रू.870/– तथा अस्वीकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम रू. 11,290/– को यथावत रखते हुए अपील आंशिक रूप

से स्वीकार की है। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.10.2010 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2006–07 के लिए द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही के बिक्री प्रपत्र क्रमशः 68, 06 एवं 288 दिन के विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.03.2009 पारित कर अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति रू. 870/–आरोपित की है,जो अविधिक है। उनका कथन है कि राज्य सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 01.06.2006 के अनुसार ए.सी.शीट्स कर योग्य नहीं होकर कर मुक्त थी तथा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 1.4.2006 से 4.7.2006 तक रू. 5,27,020/–की ए.सी. शीट की बिक्री कर मुक्त की गयी,जिस पर भी पारित आदेश में कर कर से छूट नहीं देकर 12.5. प्रतिशत की दर से कर आरोपित कर दिया गया है। उनका कथन है कि दिनांक 5.7.2006 से 31.03.2007 तक बिक्री रू. 8,96,518/–(14,23,538/– – 5,27,020/– = 8,96,518/–) पर 12.5 प्रतिशत से कर का दायित्व अधिसूचनाओं के अनुसार था परन्तु अपीलार्थी ने ए.सी.शीट्स का क्रय मैसर्स गर्ग डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर से किया था,जिन्होंने अपीलार्थी को कर मुक्त बिक्री के बिल जारी कर किये थे इसलिए उसने भी कर मुक्त ही विक्रय किया है इसलिए कर एवं ब्याज आरोपित करना उचित नहीं है।

उनका कथन है कि आलोच्य अवधि में मैसर्स हरियाणा स्टील जयपुर से बिल संख्या 200 दिनांक 20.06.2006 से आयरन शीट कीमतन रू. 2,82,240/– एवं उस पर वैट रू. 11,290/– की खरीद की थी,जिसकी आई टी सी वर्ष 2006–07 की प्रथम तिमाही के वैट–10 में क्लेम नहीं की थी परन्तु वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट में यह राशि क्लेम की गयी थी किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रू. 11290/–आई टी सी अस्वीकार कर दी गई। उनका कथन है उक्त आरोपित कर,ब्याज एवं आई टी सी क्लेम अस्वीकार किये जाने के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी द्वारा कर एवं ब्याज में आंशिक राहत देते हुए अपील आंशिक रूप से अस्वीकार की है, जबकि उन्हें पूर्ण रूप से अपील अस्वीकार करना चाहिए था। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से कथन किया गया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं अधिसूचनाओं एवं विज्ञप्ति पर विचार करने के पश्चात कर एवं ब्याज को कम करते हुए शेष सृजित मांग कर रू.1,12,065/–,ब्याज रू.33,620/–,शास्ति रू.870/– तथा अस्वीकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम रू. 11,290/– को यथावत रखते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार की हैं, जो पूर्ण रूप से उचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया साथ अपीलीय अधिकारी के आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों के

अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 01.06.2006 से 04.07.2006 तक की एब्सेस्टोस सीमेन्ट शीट्स का विक्रय रू. 5,27,020/–किया गया है,जो कर मुक्त थी,परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश में आलोच्य में की गई समस्त बिक्री रू. 14,23,538/–पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर एवं इसे अदेश मानकर ब्याज आरोपित किया गया है,जो अविधिक है। अतः एस्बेस्टोस सीमेन्ट शीट की दिनांक 01.06.2006 से 04.07.2006 तक की गई बिक्री रू. 5,27,020/– आरोपित 12.5 प्रतिशत की दर से आरोपित कर रू. 65,877/– अविधिक होने से अपास्त किया जाता है तथा उक्त कर को अदेय मानकर आरोपित आनुपातिक ब्याज रू. 19,763/–अविधिक होने से अपास्त किया जाता है। अतः शेष बिक्री रू. 8,96,518/– आरोपित कर रू. 1,12,065/– एवं इस कर को अदेश मानकर आरोपित किया गया ब्याज रू. 33,620/–को यथावत रखा जाता है।

रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2006–07 की प्रथम तिमाही का जो वैट–10 एवं वैट–7 प्रस्तुत किया है, उसमें गैसर्स हरियाणा स्टील के बिल संख्या 200 दिनांक 20.06.2006 से खरीद गये आयरन एण्ड स्टील कीमतन रू. 2,82,240/– एवं इस पर चुकायी गयी वैट राशि रू. 11,290/–का क्लेम घोषित नहीं किया है। तत्पश्चात ऑडिट रिपोर्ट में विलम्ब से उक्त क्लेम घोषित किया है, इसलिए प्रकरण के परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उक्त क्लेम देय है।

बहस के दौरान आलोच्य अवधि के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही के बिक्री प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 870/–के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष बल नहीं किया गया है,इसलिए उन्होंने उक्त शास्ति को यथावत रखा है, इसलिए उसमें इस स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

प्रकरण के विवेचित उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को यथावत रखते हुए अपील प्रस्तुत/अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य